5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(135)

मानीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय मे

रेस्टो - 9193-PBR-16

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1745—पी.बी.आर. / 99

शिवराम पिता कन्हैया व अन्य तर्फे वारिस
संतोष पिता स्व. शिवराम ग्राम पिपुरी
तह. व जिला खरगोन (म.प्र.) ---प्रार्थीगण

विरुद्ध

पंडु पिता दशरथ व अन्य।
ग्राम पिपुरी तह. व जिला खरगोन (म.प्र.) —— प्रत्यर्थीगण

आवेदन पत्र प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबद

वकालत दाखिल

प्रार्थी शिवराम पिता कन्हैया मृत तर्फे वारिसान की ओर से निवेदन है कि :—

आज दि. 15-9-16 को

1— यह कि, प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के समक्ष श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 150 / अपील / 1998—99 में दिनांक 28 / 09 / 1999 को पारित आदेश के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जो निगरानी प्रकरण क्रमांक **1745—पी.बी.आर. / 99** पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के वारिसों की कार्यवाही न किये जाने के कारण दिनांक 16 / 02 / 2016 को पारित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रीडर
पत्रों ऑफ कोर्ट
15-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो 9173–पीबीआर/16 जिला खरगौन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.2.2016 क विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.9.2016 लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा कि संतोष के पिता स्वर्गीय शिवराम प्रकरण को देखते थे और उनकी मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई एवं आवेदक को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, जब वह तहसीलदार के समक्ष लम्बित प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 7.9.2016 को उपस्थित हुए, तब प्रकरण की जानकारी हुई । प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में द्वारा प्रकरण निरस्त करने के 3 वर्ष पूर्व शिवराम की मृत्यु को चुकी थी, तथा आवेदक को इस न्यायालय के प्रकरण की जानकारी थी क्योंकि आवेदक के अभिभाषक प्रारंभ से ही उपस्थित होते रहे हैं । 2/ इस न्यायालय द्वारा प्रकरण निरस्त करने के 3 वर्ष पूर्व शिवराम की मृत्यु को चुकी थी । 3 वर्ष तक प्रकरण की जानकारी आवेदक को नहीं होना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उभय पक्ष एक ही ग्राम के निवासी हैं, और उभय पक्ष के मध्य विवाद की जानकारी मृतक के परिवार को न रही हो यह संभव नहीं है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने का औचित्य नही है । फलस्वरूप यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	